न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 89/2019 G.C.M.S. No. 2019/00415 दर्ज दिनांक : 04.12.2019

अपीलार्थिगण:

1. किस्तुरा पुत्र श्री नथाजी, जाति घांची, निवासी इंदरवाड़ा, तहसील रानी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत नथाराम पुत्र श्री दीपाजी के कायम मुकाम:–
   1/1 रूपी पुत्री नथाराम, धर्मपत्नि मोहनलाल, जाति घांची, निवासी केनपुरा, तहसील व जिला पाली।
2. पूर्णमल पुत्र श्री नथाराम
3. मोतीलाल पुत्र श्री नथाराम
   समस्त जातिगण घांची निवासी इंदरवाडा, तहसील रानी, जिला पाली।
4. भूमिधारी तहसीलदारजी रानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2017 बअनवान किस्तुरा बनाम नथाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019

उपस्थित:–

1. श्री दौलत मकवाणा विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 25.04.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2017 बअनवान किस्तुरा बनाम नथाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 प्रस्तुत की हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम मौजा इन्दरवाडा तहसील देसूरी वर्तमान में रानी तहसील में है। जिसमें खसरा नंबर 2, 3, 6, 4, 5 कृषि भूमि जिसमें खसरा नंबर 2/57 यानि खसरा नंबर 2 की 57 बीघा कृषि भूमि अपीलांट व पेमाजी ने रामेश्वर खातेदार से जरिये कारकूट बेचाण दिनांक 13.06.1972 को खरीद की है व कब्जा प्राप्त किया है। जिसका म्यूटेशन दिनांक 15.08.1972 को अपीलांट व रेस्पोंडेंट के नाम दर्ज हुआ। प्रकरण में पेमाराम की मृत्यु हो गयी व उनके वारिसान कोई नहीं थे। उस आधार पर रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 ने एक उजरदारी भू प्रबंधक अधिकारी जोधपुर के यहां प्रस्तुत की, जिस उजरदारी में खसरा नंबर 2, 3, 6, 4, 5 का उल्लेख किया गया व उसमें कृषि भूमि कितनी है, नहीं बतायी है व पेमारामजी का अपने आपको वारिस बताकर खातेदारी में नाम दर्ज कराने की ईस्तदुआ की गई थी। उस उजरदारी में दिनांक 27.12.1986 को दर्ज की गई व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 28.12.1986 उजरदारी फैसल कर दी गई, उस उजरदारी में कही भी नोटिस जारी करने का उल्लेख नहीं है व किस्तुरा यानि अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं। जबकि अपीलांट को सुनकर आदेश पारित करने का प्रावधान है। परन्तु उसमें ऐसा नहीं किया गया है। भू–प्रबंधक के निर्णय दिनांक 18.12.1986 को पारित किया, परन्तु म्यूटेशन दिनांक 27.12.1986 को भरने का उल्लेख है। जिसका इन्द्राजात भू–प्रबंधक द्वारा किये गये इन्द्राजात से साबित है। भू–प्रबंधक ने जो निर्णय दिया है, वह कानून के विपरित था व उस संबंध में घोषणा का अपीलांट को दावा करने का अधिकार है। क्योंकि अपीलांट का पेमाराम का 1/2 व 1/2 हिस्सा वादग्रस्त सम्पति में था। जिसका उल्लेख म्यूटेशन व जमाबन्दी में दर्ज है व बेचाणनामा में भी इसका उल्लेख है। उस अनुसार रेस्पोडेंट पेमारामजी के उत्तराधिकारी बनकर इन्द्राजात कराने आये थें उस अनुसार 1/2 हिस्से में रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज किया जाना था, परन्तु भू–प्रबंधक ने अपीलांट व रेस्पोंडेंट को 1/4 व 1/4 हिस्सा दर्ज करने का जो आदेश किया है, वो आदेश कानून के विपरित था। क्योंकि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा था व 1/2 हिस्सा पेमारामजी का था व पेमारामजी के वारिशान के रूप में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्से में खातेदारी में दर्ज करने का आदेश किया जा सकता था। परन्तु गलत रूप से खातेदारी में 3/4 हिस्से में पेमारामजी की बताकर खातेदारी दर्ज की है, जो गलत है। क्योंकि उजरदारी में भी पेमारामजी के हिस्सा का नाम दर्ज करने का उल्लेख था। ऐसी स्थिति में 1/2 हिस्सा अपीलांट का व 1/2 हिस्सा रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 का है। अपीलांट का 1/2 हिस्से पर कब्जाकाश्त है व अपीलांट 1/2 हिस्से की भूमि पर उपयोग व उपभोग कर रहा है व 1/2 हिस्से की भूमि पर जिस पर अपीलांट का कब्जाकाश्त है वहां कुआं है जिसमें अपीलांट का विद्युत संबंध लिया हुआ है व उस कुंए का अपीलांट ही उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। रेस्पोंडेंट अन्य 1/2 की भूमि पर अलग से पानी प्राप्त कर उपयोग कर रहे हैं व अपीलांट के 1/2 हिस्से की भूमि पर कुआं है, जिस पर अपीलांट का विद्युत संबंध अपीलांट के नाम से लिया हुआ है। जो खसरा नम्बर 4 रकबा 0.01 गैर मुमकिन बेरा में वादी का विद्युत संबंध होने से वादी अपने आधे हिस्से की भूमि पर काश्त करता है व पानी का उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 अपीलांट से द्वेष रखते है व अपीलांट को बेरे से पानी लेने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। जिस पर रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के साथ पानी के उपयोग में बाधा पहुंचायी। तब अपीलांट ने उन्हें मना किया, तब रेस्पोडेंट ने दिनांक 01.10.2015 को अपीलांट के साथ मारपीट की। जिस पर अपीलांट ने पुलिस थाना रानी में मुकदमा दर्ज कराया जो सी.आर. नम्बर 37/2015 दर्ज हुआ। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 3 के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुआ, जो मुकदमा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

911/2015 दर्ज हुआ। जो न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेंट अपीलांट को पुनः बेरे जो खसरा नम्बर 4 में स्थित है, में बाधा पहुचानें की कोशिश की व अपीलांट की मोटर जो बेरे में उतारनी थी। को दिनांक 17.10.2017 को अपीलांट द्वारा मोटर बेरे में उतारी जा रही थी, जिसमें बाधा पहुंचायी व अपीलांट को बेरे में मोटर नहीं उतारने दी, जिससे अपीलांट पानी का उपयोग एवं उपभोग बेरे से नही कर सका व बिजली का भी उपयोग नहीं कर सका, जिससे अपीलांट द्वारा जो फसल भूमि पर बोई हुई है, उसको सुखने का खतरा पैदा हो गया। अपीलांट ने रेस्पोडेंट को इस संबंध में आगाह किया, परन्तु रेस्पोडेंट नही मान रहे है व अपीलांट को बेरे के उपयोग एवं उपभोग में बाधा पहुंचा रहे है व बेरे में मोटर फीट करने व पानी के उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचा रहे है जिसे रोका जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया जो दर्ज होने के बाद नोटिस जारी हुए। रेस्पोडेंट ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह आधार लिये कि अपीलांट ने राजस्व अपीलेट अधिकारी महोदय के यहां 34/16 सेटलमेंन्ट के आदेश के खिलाफ अपील पेश कर रखी है। इसलिये दावा चलने योग्य नहीं है व अपील विचाराधीन होने से दावा श्रीमान के क्षेत्राधिकार का नहीं रहा है। इसलिये दावा खारिज किया जावे। अपीलांट ने उस प्रार्थना पत्र का जवाब दिया व जाहिर किया अपील म्यूटेशन के निर्णय के विरूद्ध है व दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व विवाद बिन्दू अलग अलग है व बिनाय दावा अलग अलग पैदा होने के आधार पर किया गया है व दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है व अपील होने से क्षेत्राधिकार नही बदलता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 में दावा खारिज नहीं हो सकता है व 151 के अन्तर्गत दावा खारिज किया जा सकता है व सिर्फ यह कहकर कि सेटलमेंट के दावे के विरूद्ध अपील विचाराधीन है, इसलिये दावा खारिज किया जाता है का आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे के तथ्यों पर गौर नही किया है एवं न ही बिनायदावा पर गौर किया है। जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए वादपत्र अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं।

2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अपीलांट का दावा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। जबकि अपील म्यूटेशन के निर्णय के विरूद्ध है। दोनों में विवाद बिंदु अलग–अलग है तथा बिनायदावा अलग पैदा होने से दावा पेश किया गया। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है एवं अपील होने से क्षेत्राधिकार नहीं बदलता है। सिर्फ यह कहकर कि सेटलमेंट के दावे के विरूद्ध अपील विचाराधीन है इसलिए दावा खारिज किया जाता है, पूर्णतया निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी किस्तुरा द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर रानी जिला पाली में प्रस्तुत किया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र के पैरा संख्या 8 में वादकारण अंकित है तथा वादपत्र समुचित कोर्ट फीस व स्टांप के साथ पेश किया गया है।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत वादपत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रकरण में वादी ने वाद में भू–प्रबंध अधिकारी जोधपुर द्वारा मु.स. 522/86 अनवान नथाराम बनाम किस्तुरा में पारित आदेश दिनांक 28.12.1986 को चुनौती दी हैं तथा इसी आदेश के विरूद्ध एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली अपीलांट किस्तुरा बनाम नथाराम अपील संख्या 34/2016 प्रस्तुत कर रखी हैं। अतः वाद में जो अनुतोष चाहा है, वही अनुतोष अपील में भी प्रश्नगत किया गया है। इसलिए वादी को वाद पेश करने का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है तथा बिना वादकारण प्रस्तुत वाद विधिनुसार पोषणीय नहीं होने का अंकन करते हुए वादपत्र खारिज कर दिया गया।

5. यह सुस्पष्ट विधिक स्थिति है कि भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा अपेक्षित भूप्रबंध कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं इससे संगत नियम राजस्थान भू–राजस्व (सर्वे, अभिलेख तथा बंदोबस्त) (सरकारी) नियम 1957 के अंतर्गत संपादित की जाती हैं तथा उक्त अधिनियम व नियमों के अंतर्गत निष्पादित कार्यवाहियों व पारित आदेशों के विरूद्ध नियमानुसार अपील का प्रावधान है। लेकिन भूप्रबंध अधिकारियों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी प्रकार का विचारण, श्रवण व निर्णयन का क्षेत्राधिकार नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अंतर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र न्यायालय सहायक कलक्टर रानी में प्रस्तुत किया गया। जोकि संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। वादपत्र वादी द्वारा समुचित शुल्क के साथ पेश किया गया है तथा वादपत्र के पैरा संख्या 8 में बिनायदावा का स्पष्ट अंकन व उल्लेख है। सहायक कलक्टर के विधिक क्षेत्राधिकार में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत वांछित अनुतोष हेतु प्रस्तुत वादपत्र इस आधार पर पोषणीय नहीं होना, नहीं माना जा सकता कि प्रकरण में भूप्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील विचाराधीन है। चूंकि दोनों प्रकरण अलग–अलग अधिनियम में व अलग–अलग क्षेत्राधिकार प्राप्त प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अतः इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन व पारित आदेश विधिनुरूप नहीं माना जा सकता।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिनुरूप नहीं होकर त्रुटिपूर्ण होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2017 बअनवान किस्तुरा बनाम नथाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संगत विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुशीलन करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये पैरोकार पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.05.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर रानी जिला पाली में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)कारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner